(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 08/2021- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी, 2021

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "एनीलीन" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक 2921 41 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून, 2020, जिसे 12 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी |

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 29 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 29 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2020 से विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था |

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 20 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि, -

(i) विषयगत वस्तु को विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था;

(ii) इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के पाटित आयात के कारण हुई है |

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में

विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

| क्र. सं. | उप शीर्षक | विवरण | मूलत: उत्पादन का देश | निर्यातक देश | उत्पादक | राशि | इकाई | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2921 41 | एनीलीन | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | वॉनहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी, लिमिटेड | 36.90 | मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 2 | 2921 41 | एनीलीन | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश | उपर्युक्त संयोजन को छोड़कर कोई अन्य संयोजन | 121.79 | मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |
| 3 | 2921 41 | एनीलीन | चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश | चीन जनवादी गणराज्य | कोई भी | 121.79 | मीट्रिक टन | अमेरिकी डॉलर |

2. इस सूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात 29 जुलाई, 2020 से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) तक लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा:

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की तारीख अर्थात 29 जनवरी, 2021 से लेकर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने के एक दिन पूर्व तक लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/80/2020 -टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार